संख्या- 7/2021/ 685/12-3-2021-100(25)/2018

प्रेषक

डा0 रामचन्द्र शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि **निदेशक,**
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक: ४ जून, 2021**

विषय:- कृषि के विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-प्रसार-कम्प्यूटर-2661/पा0कि0से0यो0/2021-22/लखनऊ, दिनांक 12.04.2021 एवं पत्र संख्या- कम्प्यूटर-2696/पा0कि0से0यो0/2021-22/लखनऊ, दिनांक 25.05.2021 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष-2021-22 के अन्तर्गत कृषि के विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट का 1/6 भाग अर्थात कुल रू0 593.99 लाख (रू0 पांच करोड़ तिरानबे लाख निन्यानबे हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

अनुदान संख्या/ लेखाशीर्षक	**मानक मद**	**प्राविधान**	**स्वीकृत धनराशि**
अनुदान संख्या-**11** के लेखाशीर्षक **2401-**फसल कृषि कर्म **109-** विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण **08-**कृषि के विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग	16-**व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान**	**2200.00**	**366.67**
	42-**अन्य व्यय**	**556.02**	**92.66**
	46- **कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय**	**145.41**	**24.240**
	47-**कम्प्यूटर अनुरक्षण एंव स्टेशनरी का क्रय**	**482.53**	**80.42**
	58-**आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान**	**180.00**	**30.00**
	कुल योग	**3563.96**	**593.99**

(रू0 पांच करोड़ तिरानबे लाख निन्यानबे हजार मात्र)

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार किया जाएगा।

उक्त लेखाशीर्षक/मानकमद में पूर्व में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरांत ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किया जाएगा तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने के पूर्व अपने स्तर से यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा इसकी धनराशि आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है। धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय।

4- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि की स्वीकृति मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि को आवंटित करने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित कर ली जाये।

5- कृषि विभाग की समस्त योजनाओं में लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया को पारदश्र्ाी बनाने हेतु कार्यालय ज्ञाप सं0-2348(1)/12-3-2013-100(61)/2012, दिनांक 12.07.2013 द्वारा कृषि निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दी गयी रिपोर्ट/संस्तुति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। योजना के अनुश्रवण हेतु कार्यालय ज्ञाप सं0-4968/12-3-2013- 100(61)/2012, दिनांक 23.10.2013 द्वारा प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों/शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देर्शों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ का होगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का कोषागार से आहरण/व्यय तभी किया जायेगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

6- योजनान्तर्गत विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों तथा दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

7- स्वीकृत धनराशि के व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।

8- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-961/दस-2012-10(28)/2011, दिनांक 31 जनवरी, 2013 द्वारा वेतन/पेंशन के अतिरिक्त प्रदेश के कोषागारों में समस्त प्रकार के अन्य भुगतान (इम्प्रेस्ट आदि से संबंधित अपवादों को छोड़ते हुए) ई-पेमेंट के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था दिनांक 1.4.2013 से किये जाने का निर्णय लिया गया है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय। वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1- 285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-।।, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभाथ्र्ाी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय।

9- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

10- निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजनान्तर्गत लाभार्थियों का पूरा विवरण विभागीय वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।

11- स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों/प्राविधानों/प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का पूर्ण उत्तर दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा।

12 वस्तुओं/सेवाओं के सम्बन्ध में प्रचलित दिशा-निर्देशों, सुसंगत वित्तीय निमयों एवं स्टोर पर्चेज रूल्स का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा सेवाओं के भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आउटसोर्सिंग के सम्बन्ध में जारी शासन के निर्देशोरं एवं वित्त/श्रम/कार्मिक/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा संगत विभागों द्वारा जारी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया है। प्रस्ताव में उल्लिखित आंकड़ों की शुद्धता/बजट प्राविधान की सीमा/बजट की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

13- वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी निर्देशों/शासनादेशों तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी0-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 के निर्देशों/प्राविधानों तथा अन्य संगत नियमों/प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी0-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रामचन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

सं**0-685(1)/12-3-2021-**तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग लखनऊ।
5- सम्बन्धित परियोजनाधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ।
6- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8- शासनादेश की वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in पर अपलोड करने हेतु।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 राम चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in